क्रम-संख्या 15

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या 3372/सत्रह --195-70
लखनऊ, दिनांक 23 सितम्बर, 1971

कार्यालय ज्ञाप

सचिवालय के विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर विभिन्न विषयों पर बनाई जाने वाली नियमावलियों, विधियों आदि के आलेख्यों को मूलत: हिन्दी में ही तैयार करने और उसे एवं उसके अंग्रेजी अनुवाद को विधायिका विभाग में विधीक्षण के लिये भेजने के स्पष्ट निर्देश विधायिका विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2236/17-5(7) (1)-67, दिनांक 6 अगस्त, 1968 तथा संख्या 1999 (2)/17-159/70, दिनांक 28 सितम्बर, 1970 द्वारा प्रसारित किये गये थे। परन्तु फिर भी बहुधा यह पाया गया है कि उक्त निर्देशों का पर्याप्त कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है और अधिकतर नियमावलियों आदि का आलेख्य मूल रूप में अंग्रजी में ही तैयार किया जाता है और तत्पश्चात् उनका हिन्दी अनुवाद तैयार किया जाता है। अत: निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सचिवालय के समस्त विभागों का ध्यान उपर्युक्त निर्देशों की ओर आकर्षित करते हुये उनसे यह निवेदन करने का आदेश हुआ है कि उपर्युक्त निदेशों का कड़ाई से पालन किया जाया और भविष्य में सदैव समस्त नियमों, विधियों आदि के आलेख्य को मूलत: हिन्दी में ही तैयार करके उनके अंग्रेजी रूपांतर के साथ विधीक्षण के लिये विधायिका विभाग भेजा जाय। इस बात को भी अवश्य ध्यान में रखा जाय कि हिन्दी में मूलत: तैयार किये गये ऐसे आलख्यों की भाषा सरल व स्पष्ट हो।

कैलाश नाथ गोयल,
विशेष सचिव।

सचिवालय के समस्त विभागों को।

स0 3372 (1)/17--195-70

प्रतिलिपि, सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
विशेष सचिव।